विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय-सोमवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
12(क) क्या पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पिछले तीन वर्षो से क्या-क्या कार्य किये गये हैं?	पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रदेश में पिछले तीन वर्षो में किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नवत् हैः- (1) वायु प्रदूषण के दृष्टिगत प्रदेश के चिन्हित 17 नॉन-अटेन्मेन्ट नगरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने हेतु कार्य योजना क्रियान्वित की गयी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों की परिवेशीय वायुगुणता के सुदृढीकरण के अन्तर्गत सतत वायुगुणता अनुश्रवण हेतु 28 नवीन सतत् परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों (सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0) को स्थापित कराया गया है। (2) वर्तमान मे प्रदेश के 20 नगरो मे कुल 49 नग सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0 स्थापित एवं संचालित है। उक्त सभी केन्द्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के सेन्ट्रल सर्वर से जुडे हैं। (3) मुरादाबाद जनपद में 01 सचल सतत् परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित है। (4) प्रदेश के चिन्हित 17 नॉन-अटेन्मेन्ट नगरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने के दृष्टिगत संबंधित नगरों के स्थानीय नगर निकायों द्वारा 62 नग मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर, 239 वाटर स्प्रिंकलर/टैंकर एवं 79 एण्टी स्मॉग गन की व्यवस्था की गयी है। (5) बोर्ड द्वारा ग्रासली पाल्यूटिंग उद्योगों में होने वाले उत्सर्जन की सतत् अनुश्रवण हेतु सतत् उत्सर्जन मापक संयंत्र की स्थापना अनिवार्य किया गया है। (6) प्रदेश की नदियों की जलगुणता में सुधार लाये जाने हेतु प्रदेश की प्रमुख 14 नदियों के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जल गुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं। (7) बोर्ड द्वारा आसवनी उद्योगों के लिए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण तथा उद्योग में पी0टी0जेड0 कैमरा लगाया जाना प्राविधानित किया गया है, जो कि बोर्ड के लखनऊ स्थित रिवर कन्ट्रोल रूम से कनेक्टेड है। (8) जल की गुणवतापरक विश्लेषण हेतु बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ एवं अन्य 07 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओ क्रमशः गाजियाबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी एवं प्रयागराज का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा एन0ए0बी0एल0 से एक्रीडिटेटेड कराया गया है।
(ख) शासन के पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के बारे में अब तक प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिल पाया है?	नदियों की जलगुणता सुधार हेतु लागू की गयी उक्त कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप कुल 100 बिन्दुओं पर किये गये जलगुणता अनुश्रवण के अन्तर्गत 43 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा (वार्षिक औसतमान) में 0.32 से 29.04 प्रतिशत तक तथा 56 बिन्दुओं पर टोटल कोलीफार्म की मात्रा (वार्षिक औसतमान) में 0.47 से 68.10 की कमी पायी गयी है, जो कि जलगुणता में सुधार का द्योतक है। प्रदेश के अति-प्रदूषित नगरों में वायुगुणता सुधार हेतु लागू की गयी कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण के फलस्वरूप प्रदेश के 17 नॉन-अटेन्मेंट नगरों में से 16 नगरों की वायुगुणता में वायु प्रदूषण के

	प्रमुख प्रचालक पी0एम0 10 की मात्रा में वर्ष 2021-22 में (वर्ष 2019-20 के सापेक्ष) 04 से 49 प्रतिशत तक सुधार पाया गया है।
(ग) प्रदेश में पर्यावरण के विकास एवं प्रदूषण रहित प्रदेश बनाये जाने के संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है?	प्रदेश की प्रमुख 14 नदियों के प्रदूषित खण्डों में जलगुणता में सुधार लाये जाने हेतु सीवेज प्रबन्धन, आद्यौगिक उत्प्रवाह प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावणीय बहाव प्रबंधन, बाढ़ संवेदी क्षेत्र प्रबन्धन, भूजल प्रबंधन तथा जलगुणता अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबंधी लघु एवं दीर्घकालीन कार्यवाही की कार्ययोजना निर्धारित है। कार्ययोजना के क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समितियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित **रीवर रीजुवेनेशन कमेटी** द्वारा किया जाता है। वायु प्रदूषण के दृष्टिगत प्रदेश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित अति प्रदूषित कुल 17 नगरों में वायुगुणता के सुधार हेतु वर्तमान में क्रियान्वित कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 20 संबंधित विभागों हेतु क्रमशः वाहनों के लिए सी0एन0जी0 की आपूर्ति, सी0एन0जी0 एवं इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, मेट्रो का संचालन, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्वच्छ ईधन (पी0एन0जी0) की आपूर्ति, धूल नियंत्रण हेतु मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर, वाटर स्प्रिंकलर एवं एण्टी स्मॉग गन का उपयोग, गड्ढा मुक्त सड़कें वृक्षारोपड़, ऑनलाइन पी0यू0सी0 की व्यवस्था, डी0जी0 सेट का नियमित अनुश्रवण, पार्किंग की उचित व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के जलाये जाने पर प्रतिबंध, एक्सप्रेसवे/बाईपास का निर्माण, ईधन में मिलावट हेतु नियंत्रण, वायु प्रदूषणकारी उद्योगो को उचित स्थल पर स्थानान्तरण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन आदि प्रमुख कार्य एवं दायित्व निर्धारित है, जिसके अनुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्ययोजना के क्रियान्वयन की त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था निम्नवत् स्थापित है:- ➢ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **जिला पर्यावरण समिति** द्वारा । ➢ मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा। ➢ प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित **एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी** द्वारा।

डॉ0 अरूण कुमार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0।